न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा

जिला चित्तौड़गढ़

(पीठासीन अधिकारी – रमेश सीरवी पुनाडियाँआर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्याः–177/2022 दर्ज तिथिः–01.09.2022
GCMS N. -2022/439

1. कमलेश पिता राधेश्याम जी जाति रावल आयु वयस्क निवासी ऊखलिया तहसील निम्बाहेडा राज
2. सत्यनारायण पिता राधेश्याम जी जाति रावल आयु वयस्क निवासी ऊखलिया तहसील निम्याहेडा राज
3. दिनेश पिता राधेश्याम जी जाति रावल आयु वयस्क निवासी ऊखलिया तहसील निम्बाहेडा राज
4. शिवकरण पिता राधेश्याम जी जाति रावल आयु वयस्क निवासी ऊखलिया तहसील निम्बाहेड़ा राज
5. शारदा वाई वेवा राधेश्याम जी जाति रावल आयु वयस्क निवासी ऊखलिया तहसील निम्बाहेड़ा राज

................प्रार्थीगण

बनाम

1. राजरथान सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार साहब, निम्बाहेड़ा (राज)

.... अप्रार्थी

प्रार्थी अधिवक्ताः – श्री नरेन्द्र कुमार वैष्णव
अप्रार्थी अधिवक्ता–पेरोकार सरकार तहसीलदार निम्बाहेड़ा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136
भू राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :–

निर्णय तिथिः–31.05.2023

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 की वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी एंव स्वामित्व, आधिपत्य व कब्जे काश्त की आराजी मौजा ग्राम ऊखलिया पटवार हल्का ऊखलिया तहसील निम्बाहेडा की खाता संख्या 397 की आराजी नम्बर 1917/569 रकबा 0.1500 हैक्टेयर लगानी 2 रूपये 85 पैसे स्थित है।
2. यहकि वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण की संयुक्त [illegible] धिपत्य की पुश्तेनी पैतृक आराजी है जो प्रार्थीगण के दादा रामरतन पिता उदयराम [illegible] ने से चली आ रही है वादग्रस्त आराजी जिसके पुराने आराजी नम्बर 130[illegible]939/218 रकबा 01 बीघा 15 बिस्वा है जो सेटलमेन्ट से पूर्व संवत 2054 से 2057 की जमाबन्दी में सही रूप से [illegible]ली आ रही थी। वादग्रस्त पुराने आराजी नम्बर 1302/93[illegible]218 जिसके नवीन आराजी नम्बर 569 रकबा 0.4400 हैक्टेयर होकर बंटवाडे से प्रार्थीगण के पिता राधेश्याम जी को मिली है राधेश्याम जी का देहान्त हो गया है राधेश्याम जी के वैद्य उत्तराधिकारी प्रार्थीगण है वादग्रस्त आराजियात प्रार्थीगण के दादा रामरतन पिता उदयराम रावल के नाम पर दर्ज थी जो सेटलमेन्ट से पूर्व दर्ज चली आ रही थी परन्तु सेटलमेन्ट के दौरान राजस्व कर्मचारियों की

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 17:03:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

गलती की वजह से रामरतन जो जाति से रावल है व प्रार्थीगण भी जाति से रावल है और रामरतन जी के देहान्त के बाद विरासत से प्रार्थीगण के पिता राधेश्याम जी के नाम दर्ज करते समय प्रार्थीगण के पिता की जाति रावल से रावत के रूप में राजस्व कर्मचारियों की गलती की वजह से दर्ज कर दी गई हैं जो राजस्व कर्मचारियों की गलती की वजह से रावल के बजाय रावत दर्ज कर दिया है इसलिये प्रार्थीगण की नवीन राजस्व रेकार्ड में जाति रावत के बजाय प्रार्थीगण की जाति राजस्व रेकार्ड में रावल दर्ज किया जाकर इन्द्राज दुरूस्त किया जाने का निवेदन किया।

3. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड किया गया, विपक्षीगण को जरिये सूचना पत्र तलब किया गया, वकील प्रार्थी/अप्रार्थी की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत दस्तावेज एवं तहसीलदार निम्बाहेडा की अनुशंषा प्रतिवेदन ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया एवं विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। विपक्षी तहसीलदार निम्बाहेडा ने अपनी जांच रिपोर्ट में मौजा ऊंखलिया की गत आ.नं. 1302/939/218 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा भूमि खातेदार श्री रामरतन पिता उदयराम जाति रावल सा. ऊंखलिया के नाम दर्ज रेकार्ड थी जो जरिये नामान्तरण सं. 1142 से विरासत से राधेश्याम, प्रेमचंद, जमनालाल, बाबुलाल, मुन्नालाल, लज्जुबाई पिता रामरतन, मु. भुरी बेवा रामरतन के नाम दर्ज हुई। मिसल बन्दोबस्त सन् 2008 में जाति रावल की रावत लिपिकीय भूल से दर्ज होने से आगामी रोटेशन में जाति रावत दर्ज हो गयी है। प्रार्थीगण कमलेश वगैराह द्वारा पेश आधार कार्ड आदि में जाति रावल ही दर्ज है। प्रार्थीगण कमलेश, सत्यनारायण, दिनेश, शिवकरण, शारदाबाई पिता राधेश्याम की जाति संलग्न दस्तावेज में भी रावल ही दर्ज है अतः जाति रावत के बजाय रावल दर्ज किया जाना उचित है।

4. हमने पत्रावली का अध्ययन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज जिसमे आधार कार्ड, राशन कार्ड, में इनकी जाति रावल दर्ज है। एवं तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। तहसीलदार द्वारा इनकी रिपोर्ट में बताया मौजा ऊंखलिया की गत आ.नं. 1302/939/218 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा भूमि खातेदार श्री रामरतन पिता उदयराम जाति रावल सा. ऊंखलिया के नाम दर्ज रेकार्ड थी जो जरिये नामान्तरण सं. 1142 से विरासत से राधेश्याम, प्रेमचंद, जमनालाल, बाबुलाल, मुन्नालाल, लज्जुबाई पिता रामरतन, मु. भुरी बेवा रामरतन के नाम दर्ज हुई। मिसल बन्दोबस्त सन् 2008 में जाति रावल की रावत लिपिकीय भूल से दर्ज होने से आगामी रोटेशन में जाति रावत दर्ज हो गयी है। प्रार्थीगण कमलेश वगैराह द्वारा पेश आधार कार्ड आदि में जाति रावल ही दर्ज है। प्रार्थीगण कमलेश, सत्यनारायण, दिनेश, शिवकरण, शारदाबाई पिता राधेश्याम की जाति संलग्न दस्तावेज में भी रावल ही दर्ज है अतः जाति रावत के बजाय रावल दर्ज किया जाना उचित प्रतित होता है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार निम्बाहेडा को आदेशित किया जाता है कि **जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 राजस्व ग्राम ऊंखलिया पटवार हल्का ऊंखलिया के नया खाता सं0 397 आराजी नम्बर 1917/569 में प्रार्थीगण के पिता राधेश्याम पिता रामरतन कि जाति रावत के स्थान पर प्रार्थीगण के पिता राधेश्याम पिता रामरतन कि जाति रावल** दर्ज करने के आदेश दिये जाते है।

तहसीलदार, निम्बाहेड़ा निर्णय आदेश अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करावें।

निर्णय आज दिनांक 31.05.2023 को कैम्प [illegible] पंचायत ऊंखलिया लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली बाद तकमील शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखील दफ्तर हो।

31/5/23

(रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ)
उपखंड अधिकारी
निम्बाहेडा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 17:03:12 IST
Reason: SelfAttested